पत्रांक-बाढ़(मो0)सिं0-66/2015-अंश-II

बिहार सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

ई0 ब्रजेश मोहन,
अभियंता प्रमुख, मुख्यालय
जल संसाधन विभाग, पटना ।

फैक्स/ ई-मेल

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता,
बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण,
जल संसाधन विभाग, पटना ।

पटना, दिनांक

विषय:- ***अरवल जिला में सोन नदी के बालू घाट सं0-04 (अहियापुर-01) से बालू लदे वाहनों के परिचालन हेतु सोन नदी में लोहे के अस्थाई ब्रिज स्ट्रक्चर देकर मार्ग बनाने हेतु अनुमति/ अनापत्ति प्रदान करने के संबंध में ।***

प्रसंग:- ***आपका पत्रांक-4739 दिनांक-30.12.2025***

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के संबंध में निदेशानुसार कहना है कि परिक्षेत्राधीन सोन बाढ़ सुरक्षा प्रमंडल, खगौल अंतर्गत अरवल जिला के अरवल प्रखंड अंतर्गत अहियापुर ग्राम में (सोन मुख्य नहर के कि0मी0 68.10 से नदी भाग की ओर 150 मी0 की दूरी पर) सोन नदी में बालू घाट सं0-04 (अहियापुर-01) से बालू लदे वाहनों के परिचालन हेतु सोन नदी में लोहे का अस्थाई ब्रिज स्ट्रक्चर देकर मार्ग बनाने हेतु वस्तुस्थिति की समीक्षोपरान्त स्थल की स्थिति के अनुरूप निम्नांकित शर्तो के साथ विशेष परिस्थिति में, जिससे कि नदी के जलप्रवाह/तटबंधों/संरचनाओं/Morphological behavior पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़े, को दृष्टिगत रखते हुए नियमानुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र (दिनांक-31.05.2026 तक के लिए) निर्गत करने हेतु मुख्य अभियंता, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, पटना को प्राधिकृत किया जाता है:-

1. बालू परिवहन हेतु प्रयुक्त वाहनों को तिरपाल से ढ़का हुआ होना चाहिए, ताकि बालू के कारण वायु प्रदूषण न हो । इस रास्ते पर नियमित रूप से पानी का छिड़काव किया जाना आवश्यक होगा, ताकि वाहनों के परिचालन से उड़ने वाले बालू को नियंत्रित रखा जा सके । उक्त कार्यो को संबंधित विभाग द्वारा स्वयं के व्यय पर कराना होगा ।
2. सोन नदी के दाँये किनारे से नदी भाग में बनने वाले लौह पुल के बाद ई0सी0 एरिया में बनने वाले मिट्टी के बांध की ऊचाँई 01 मीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए तथा प्रत्येक 30 मीटर के उपरांत 01 मीटर व्यास एवं तीन मीटर लंबा ह्यूम पाईप लगाया जाना आवश्यक होगा।
3. बाढ़ अवधि में बालू परिवहन पर पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा । बाढ़ अवधि के पूर्व इन संरचनाओं को संबंधित विभाग के द्वारा स्वयं के व्यय पर नदी के बेड से हटाया जाना बाध्यकारी होगा।
4. लौह पुल बनाने एवं इस पर परिचालन की पूर्ण जवाबदेही संबंधित विभाग की होगी । इस पुल पर किसी भी तरह की क्षति की जवाबदेही संबंधित विभाग की होगी ।
5. अस्थायी संरचना के निर्माण से नदी के बहाव में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाय एवं इसे अविरल रखा जाय । इसके लिए नियमित रूप से साफ-सफाई की व्यवस्था कराने की जिम्मेवारी संबंधित विभाग की होगी ।

6. कार्य समाप्ति के बाद स्थल पर बचे सभी प्रकार के अवशेष सामग्रियों को पूर्ण रूप से हटा लिया जाय ।
7. नदी से बालू की कटाई जल संसाधन विभाग के अभियंताओं द्वारा निर्धारित तल लेवल (1.50m) से अधिक गहराई से नहीं किया जाय तथा एन0एस0एल0 एवं किनारों को किसी भी हाल में डिस्टर्ब नहीं किया जाय ।
8. नदी के Morphology को अक्षुण्ण रखा जाय ।
9. उक्त कार्य से जल संसाधन विभाग का स्वामित्व प्रभावित नहीं होगा । विभाग को आवश्यकता पड़ने पर किसी भी समय बिना कारण बताए विषयांकित कार्य हेतु निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लेने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।
10. नदी तट के किसी भी भाग पर आवेदक का स्वामित्व नहीं होगा ।
11. रैम्प एवं नदी तट के किनारे को क्षरण से बचाने के लिए नियमित रूप से संपोषण की जिम्मेवारी संबंधित विभाग की होगी ।
12. संरचनाएँ बिल्कुल अस्थायी एवं निजी प्रयोग के लिए है, इसलिए इसकी स्थायित्व एवं मजबूती की संम्पूर्ण जिम्मेवारी संबंधित विभाग की होगी ।
13. संबंधित विभाग को इस अस्थाई संरचना के दोनो ओर एक-एक बोर्ड लगाना होगा, जिसपर बड़े अक्षरों में लिखा होना चाहिए कि ''अस्थायी संरचना, आम लोगों के लिए वर्जित है'' ।
14. जल संसाधन विभाग द्वारा इस संबंध में समय-समय पर दिये गये दिशा-निर्देश का अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा ।
15. किसी भी अप्रिय घटना के लिए संबंधित विभाग जिम्मेवार होगा ।
16. आपात परिस्थिति में विभागीय पदाधिकारियों के निदेश पर तत्काल अस्थायी पुल को संबंधित विभाग द्वारा हटाना होगा ।
17. संरचना निर्माण के दौरान पूर्व से निर्मित संरचनाओं आदि को किसी प्रकार की क्षति न हो । क्षति होने पर इसकी मरम्मति की सारी जबावदेही संबंधित विभाग की होगी एवं संबंधित विभाग अपने व्यय से क्षतिग्रस्त भाग का सुदृढ़ीकरण/मरम्मति करने के लिए बाध्य होगा ।
18. जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-1/पी0एम0सी0/विविध/161/2023-205 दिनांक-20.03.2023 में निहित निदेश के अनुपालन निमित्त CBuD APP (Call before U dig) का उपयोग करना अनिवार्य होगा ।
19. यह अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिनांक-31.05.2026 तक प्रभावी रहेगा ।
20. उपर्युक्त शर्तो का अनुपालन नहीं करने पर निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र रद्द करते हुए विभाग द्वारा दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी ।

विश्वासभाजन

ह0/-

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

पत्रांकः- बाढ़(मो0)सिं0-66/2015-अंश-II 125 दिनांकः- 12-01-2026

प्रतिलिपिः- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, जल संसाधन विभाग, पटना को विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित ।

12/01/26

(ब्रजेश मोहन)

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय